19.1.2018

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया ने अदालत मातहत में दावा घोषणा व छ दुरूस्ती रेकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीया के कदीमी पैत्रिक कब्जे काश्त व अधिकार की आराजी ख0नं0 314/8 रकबा 1.0100 हैक्टर ग्राम रिण्टू में अवस्थित है । वादीया के पिता भूराराम का देहान्त अर्सा करीब 30 साल पूर्व हो चुका। उक्त आराजी वादीया के पिता के कब्जा काश्त एवं खातेदारी मे रही तथा भूराराम के देहान्त के बाद वादीया की माता म्होरली के नाम दर्ज रही।म्होरली की मृत्यु भी हो चुकी ।अब भूराराम की एक मात्र जायन्दा संन्तान वादीया है उक्त आराजी विरासत के आधार पर वादीया के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु प्रतिवादी सं0-1 ने धोखाधडी एवं फर्जीवाडा कर उक्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाली जबकि प्रतिवादी सं0-1 स्व0 मोतीराम का जायन्दा पुत्र है ।प्रतिवादी संख्या-1 गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर वादीया के हक अधिकारों से बेदखल करने पर आमादा है जिस पर यह दावा कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0-1 का नाम हजफ किया जावे । अदालत मातहत ने वादिया का दावा स्वीकार कर डिक्री कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।

अपीलान्ट ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा -96 सीपीसी के साथ पेश की है जिसमें वादीया द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने पर यह अपील पेश करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट भी स्व0 भूराराम की पुत्री है जिसको दावे मे जानबूझकर पक्षकार नही

दिनांक	आज्ञा पत्र	

पारित किया है । पत्रावली अन्तिम बहस पर नहीं थी पत्रावली आदेश-1 नियम-10 सीपीसी के जबाब में चल रही थी। अदालत मातहत ने बिना जबाब प्रार्थना पत्र लिये बिना प्रार्थना पत्र का निर्णय किये नियत तारीख पेशी से पूर्व ही निर्णय विधिक प्रक्रिया को ताक में रखकर किया है ।अपीलान्ट जो भूरा की पुत्री है उसे पक्षकार तक नहीं बनाया जाकर आदेश विधि के विपरित पारित किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

बहस बगौर अपीलान्ट की एकपक्षीय सुनी गई रेस्पोडेन्ट के वकील बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी में अपने आप को भूराराम की पुत्री तथा वादीया की बहिन बताकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी के पेश की है ।अतः अपीलान्ट भूराराम की पुत्री होने से अपीलान्ट को हितबद्ध पक्षकार होने से यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अदालत मातहत की दावे की आदेशिका में प्रकरण प्रार्थना पत्र के जबाब में दिनांक 1-7-2011 को गोविन्दराम द्वारा आदेश-1 नियम -10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने से ही चल रहा है । वादीया ने प्रार्थना पत्र का कोई जबाब पेश नही किया ।दिनांक 20-4-2015 को दावे में जबाब हेतु दिनांक 12-6-15 आगामी पेशी दी गई किन्तु अदालत मातहत ने बिना किसी आधार के ही प्रकरण में आगामी तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 10-6-15 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपना निर्णय दिया है । हम प्रकरण में यहां पर यह उचित

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	मानते हैं । अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-6-2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण मे उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये विधिक प्रक्रिया की पालना कर अपना निर्णय पुनः पारित करे । पक्षकार अदालत मातहत मे दिनांक 20-2-2018 को उपस्थित हों । निर्णय सुनाया गया । 19/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	